न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

ं. 73/2021
ीएमएस : 2021/176

1. किशनाराम पुत्र श्री दम्मुराम जाति मेघवाल साकिन सरदारपुरा बीका 2 आई डब्ल्यू एम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —:प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल साकिन सरदारपुरा बीका 2 आईडब्ल्यूएम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रजू 04.06.2021

ास्थित अधिवक्तागण

1. श्री जितेन्द्र सोनी .प्रार्थी अधिवक्ता.
2. श्री रणवीर सिहं बिश्नोई अप्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक :— 21.08.2024

—: **निर्णय** :—

क्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी किशनाराम को अपने ातादम्मुराम से विरास्तन में चक 18 एस ए डी के प.न. 208/350 मु.न. 11 कि.न. 1/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/4, 16/2,17ता20 सालम–सालम 21/2, 2/2, 23/2, 24/2, 25/2, 25/3 में कुल 3.036 है. भूमि विरास्तन में मिली ः। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से है ओर सभी प्रकार के हक हकूक ार्थी को प्राप्त है। अप्रार्थी प्रेमकुमार प्रार्थी का लड़का है। जो भूमाफिया व गुंडा केस्म का व्यक्ति है तथा नशा इत्यादि का सेवन करता है। उक्त भूमि को ू–माफिया गुडो से साठ–गांठ कर उक्त भूमि हड़पना चाहता है। पांच दस दिन पूर्व भी अप्रार्थी ट्रेक्टर लेकर कुछ लोगों के साथ मेरे जमीन पर जबरदस्ती हल जातने लगा ओर मैने उसे मना किया तो वह मेरे साथ झगड़ा करने लगा। मैने आस पास के लोगों को इकटठा कर मुश्किल से अप्रार्थी को जमीन से बाहर किया। जाते हुये जबरन जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे गया। दिनांक 28.05.2021 को गॉव के कुछ मोजीज लोगों को पंचायत 18एसएडी में की तथा अप्रार्थी को समझाया कि वह उसकी जमीन पर कब्जा न करें। पर व नहीं माना। प्रार्थी को जमीन से बेदखल कर दूगा। इस प्रकार अप्रार्थी कि बात मानने से इन्कार कर गया। यह तारीख बिनाय मुखासमत वाद है। अप्रार्थी के अवैधानिक कृत्य को रोकने के लिए मेरे पास इस वाद को पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। अतः विवादित भूमि वाके चक 18 एसएडी के प.न. 208/350 मु.न. 11 कि.न. 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/4, 16/2, 17 ता 20 सालम–सालम 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 25/3 में कुल 3.036 है. भूमि पर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाई पारित की जावे कि मूल वाद के निर्णय तक उक्त भूमि को रहन व बैय अन्य तरीके से हस्तान्तरण न करे तथा प्रार्थी के कब्जा में कोई दखल अन्दाजी न करे। [illegible] रजिस्टर [illegible] जाकर सम्बधित प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर [illegible] ओर से श्री रणवीर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible] सं. 1 की ओर सिहं बिश्नोई अधिवक्तागण हाजिर आये। जबाव प्रार्थना पत्र [illegible] जरिये अधिवक्ता दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत किया कि अपने जबाव प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:59 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

विरोध प्रकट करते हुये कथन किया कि चक 18 एसएडी के खाता नं. 8 मु.न. 11 1.012 है. कमाण्ड भूमि अप्रार्थी को 1 को दे रखी है। जिसका दान पत्र के रोज कब्जा काश्त मुझ अप्रार्थी का शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अन्य बिन्दू अस्वीकार किये है। पने अतिरिक्त कथन व आपत्तिया में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 को उक्त मि मे दान में दी गई है, वह भूमि मुझे स्वअर्जित सम्पत्ति में से दी गई है। सलिए उक्त दान में दी भूमि को निरस्त करने का अधिकार दानकर्ता के पास नहीं जाता। प्रार्थी अपनी दूसरी पत्नि जो मेरी मौसी लगती हैं, उसके व उसके पुत्रों बहकावे में आकर मुझे अप्रार्थी सं. 1 को जरिये दान दी हुई भूमि को उनके ाव में आकर वापिस लेने की फिराक में है, जबकि दानकर्ता द्वारा एक बार दान रने व अदाता द्वारा दान स्वीकार करने पर दान को निरस्त नहीं करवाया जा कता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मौजूदा स्तर पर खारिज फरमाया जाकर जबाव ी खर्चा प्रार्थी से मुझ अप्रार्थी को दिलवाया जावे।

इस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना त्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें बैय रने बाज व ममनु रहें ओर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने से ज व ममनु रहे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में कित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि मे उसकी स्वअर्जित म्पत्ति है। जो उसे दान पत्र में मिली है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त । ना प्रार्थी का कभी कब्जा रहा है तथा विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 स्वयंअर्जित म्पति है। जिसमें प्रार्थी का कोई हिस्सा व हक नहीं है। उक्त भूमि बाबत प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि बाबत पूर्व में इस न्यायालय में प्रकरण ला है जो खारिज हो चुक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा त्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि वाके चक 8 सएडी के मु.न. 11 के 3.036 है. कमाण्ड भूमि का प्रार्थी खातेदार दर्ज है। उक्त विवादित भूमि में से जरिये दान पत्र दिनांक 11.02.2021 के द्वारा प्रार्थी किशनाराम द्वारा अप्रार्थी प्रेमकुमार के पक्ष में वाके चक 8 एसएडी के मु.न. 11 के कि.न. 16/2 के .025 खाला, 17 के .253 है, 18/.253 है. में से .101है. कमाण्ड एवं 24/2में .203 है., 25/2 में 0.177 है. 25/3में 0.025है. खाला इस प्रकार कुल 1.012है. कमाण्ड मय खाला को अपने हकीकी लड़के प्रेमकुमार पुत्र किशनाराम के पक्ष में दान पत्र किया जो दान पत्र सब रजिस्ट्रार रायसिहंनगर से तस्दीक शुद्वा है। जिसे म्युटरचिज दस्तावेज नहीं कहा जा सकता। जो प्रार्थी किशना राम के स्वयं के द्वारा अपने पुत्र प्रेमकुमार के पक्ष में दान पत्र तस्दीक करवाया है। प्रार्थी किशनाराम का पुत्र अप्रार्थी प्रेमकुमार है। इस प्रकरण में किसी का हक तय नही किया जाना है, जो कि मूल वाद पत्र में दोनों पक्षों के साथ लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है।फिलहाल स्थगन प्रार्थना–पत्र का ही निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर किसी अन्य को बेचान कर देता है तो इस अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को न होकर अ... होगी। जिस नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। अ... बढेगी। से में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता ... तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। पूर्व में भी इसी जमीन को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

ाद चला था जो खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र ाकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:आदेश:–

त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट अस्वीकार किया कर अप्रार्थीगण के विरूद्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.06.2021 को स्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। ादेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:59 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner